

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक— 334 /11-सी- FP/UP/Approach/49598/2020\_लखनऊ, दिनांक: अगस्त 03, 2024

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन,  
पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2,  
लखनऊ।

विषय:-

जनपद बरेली में बरेली-रामपुर मार्ग (पुराना एन०एच०-24) कि०मी० 242 चैनेज 241.650 प्लॉट नं० सी०पी०-03 सी०वी० गंज तहसील सदर जिला बरेली पर रियल वर्चुअल वर्क्स प्रा०लि० द्वारा विकसित किये जा रहे सिक्का होटल के सम्पर्क मार्ग हेतु प्रभावित 0.0922187 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 19 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Approach/49598/2020

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित प्रस्ताव प्रभागीय निदेशक, बरेली की संस्तुति सहित परिवेश पोर्टल-1.0 में ऑनलाईन प्रेषित किया गया। प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त ऑनलाईन प्रस्ताव इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है, कि विषयांकित प्रयोजन हेतु वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के संबंध में वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

1. प्रस्तावित वनभूमि का 1:50000 माप का रंगीन टोपोशीट अपलोड है।
  2. याचक विभाग तथा सम्बन्धित प्रभागीय निदेशक का संयुक्त निरीक्षण प्रमाण-पत्र अपलोड है।
  3. भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट अपलोड है।
  4. प्रस्तावित वन भूमि हस्तांतरण से सम्बन्धित लैण्ड लैण्डशड्यूल अपलोड है।
  5. परियोजना की स्वीकृति का शासनादेश/आदेश अपलोड है।
  6. मानक शर्तों के मान्य होने की वचनबद्धता अपलोड है।
  7. शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) जमा किये जाने की वचनबद्धता अपलोड है।
  8. प्रस्तावित वनभूमि का सत्यापित Geo Referenced Digital Map अपलोड है।
  9. प्रभावित संरक्षित वनभूमि के अन्तर्गत 190 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित वृक्षारोपण का विस्तृत प्राक्कलन अपलोड है।
  10. क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित 1:50000 माप की रंगीन टोपोशीट एवं Geo Referenced Digital Map अपलोड है।
  11. गजट नोटिफिकेशन की प्रमाणित छायाप्रति अपलोड है।
  12. प्रस्ताव में वन्यजीव/संघुरी न होने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र अपलोड है।
  13. वन अधिकार अधिनियम-2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र अपलोड है।
  14. भू-स्वामित्व विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र अपलोड है।
  15. भू-स्वावित्व विभाग का अनुमोदित ले-आउट प्लान अपलोड है।
  16. बाधक वृक्षों की वैज्ञानिक नाम एवं सारांश सहित सूची अपलोड है।
  17. प्रस्ताव की पी०डी०एफ० फाईल ऑनलाईन अपलोड है।
- संलग्नक-संस्तुति पत्र।

भवदीय

(प्रमोद कुमार गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या— 334 /11-सी- FP/UP/Approach/49598/2020 दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- वन संरक्षक, बरेली वृत्त, बरेली।
- 2- प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, बरेली।
- 3- हस्ताक्षरकर्ता, रियल वर्चुअल वर्क्स, प्राईवेट लिमिटेड।

(प्रमोद कुमार गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उ०प्र०, लखनऊ।

भाग-4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Approach/49598/2020

|   |                                                                                                                                           |                                                                         |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ➤ | टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें ।                        |                                                                         |
| ➤ | (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाएं और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाएं। | C.F. Bareilly का सन्तुष्टि के आधार पर स्वीकृतार्थ मंस्तुति की जाती है । |

हस्ताक्षर :-

नाम :-

सरकारी मुहर :-

प्रमोद कुमार गुप्ता  
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
वन संरक्षण अधिनियम-1980,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

तिथि :- 03/8/24

दिनांक :-